राजस्थान सरकार

# वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

# 2019–2020

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

# विवरणिका


| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | परिचय | 1 |
| 2. | विभाग की स्थापना एवं गठन | 2 |
| 3. | वर्ष 2019–20 की उपलब्धियां | 3–4 |
| 4. | अभाव स्थिति | 4 |
| 5. | मानसून की स्थिति | 5 |
| 6. | ओलावृष्टि की स्थिति | 6 |
| 7. | पशु संरक्षण गतिविधियाँ | 6 |
| 8. | अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति | 6 |
| 10. | अग्नि पीड़ितों को सहायता | 6 |
| 11. | राज्य /राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति | 7 |


## परिशिष्ट


| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रशासनिक ढ़ांचा | 8 |
| 2. | विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची | 9 |
| 3. | स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति | 10 |
| 4. | राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण | 11 |
| 5. | राज्य कार्यकारिणी समिति | 12 |
| 6. | जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण | 13 |
| 7. | राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति | 14 |
| 8. | अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति | 15 |
| 9. | अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति | 16 |
| 10. | आपदावार नोडल विभागों की सूची | 17 |
| 11. | अभाव की स्थिति (खरीफ फसल सम्वत 2076) | 18–19 |

# आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

## परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत भाग है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2016–17 के समंकों के अनुसार प्रदेश में सकल बोये गये 260.36 लाख हैक्टेयर भूमि में से 107.24 लाख हैक्टेयर ही सकल सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 79.75 लाख हेक्टेयर (96.58 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

## विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2002 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.2003 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया हैं।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा परिशिष्ट–1, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–2 तथा विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट–3 पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

## वर्ष 2019–2020 (माह दिसम्बर, 2019 तक) की उपलब्धियाँ

1. राज्य कार्यकारी समिति की वर्ष 2019–20 में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2019 को बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–
   - बजट घोषणा संख्या 174/2019–20 की पालना में 100 नये अग्निशमन वाहनों के क्रय किये जाने तथा नागरिक सुरक्षा विभाग व स्वायत्त शासन विभाग को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।
   - राज्य के तीन लोकेशन यथा जयपुर, अलवर एवं जोधपुर पर एनडीएमए द्वारा उपलब्ध कराये गये सेटेलाईट फोन्स के आवर्ति व्यय – Recurring Expenditure of LF/WPC (Spectrum) charges & validity plan, AMC charges and Recharge हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय राशि रूपये 1,63,000/– की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया, साथ ही कोटा जिले में भी एक सेटेलाईट फोन उपलब्ध करवाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
   - नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु 1.00 करोड रूपये फायर की ट्रेनिंग के लिये स्वीकृति दी गई। समिति द्वारा नागरिक सुरक्षा हेतु 100 फायर सूट क्रय किये जाने की अनुमति दी गयी।
   - समिति द्वारा नये वायरलेस सेट क्रय हेतु राशि 25.41 लाख रूपये एवं नई नाव क्रय हेतु राशि 16.73 लाख रूपये की स्वीकृति हेतु सहमति दी गई।
2. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं मे जलने, डूबने तथा मकान ढहने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।
3. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 23 की अनुपालना में भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।
4. अनुच्छेद 31 की अनुपालना में जिलों की जिला आपदा प्रबन्धन योजनाये तैयार की जा चुकी है , जिनको समय –समय पर अद्यतन किया जा रहा है।
5. आपदाओं के प्रबन्धन में संसाधनों व जन शक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) वेब साइट के माध्यम से समय–समय पर जिलों द्वारा अद्यतन की जा रही है।
6. भारत सरकार को आपदा प्रबन्धन की वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी है।

7. सम्वत् 2075 में राज्य के 4 जिलों यथा बूंदी, चूरू, नागौर एवं सवाई माधोपुर के 40 गांवो को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया है तथा प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. सम्वत् 2076 में राज्य के 18 जिलो यथा अजमेर, बांसवाडा, भीलवाडा, बारां, बूंदी, चित्तोडगढ, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर में बाढ़ से प्रभावित 12943 गांवो में फसल खराबा होने के कारण खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया है एवं प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

9. सम्वत् 2076 में राज्य के 4 जिलो यथा बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं हनुमानगढ में सूखे से फसल खराबा होने के कारण प्रभावित 1388 गांवो को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया है एवं प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान–अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

10. 1 जनवरी 2019 (सम्वत 2075) से कृषि आदान–अनुदान ऑनलाईन पे–मेनेजर के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में (डीबीटी) सीधे हस्तान्तरण किया जा रहा है एवं 1 जनवरी 2020 (सम्वत 2076) से समस्त जिलों में एसडीआरएफ के तहत संचालित समस्त गतिविधियों एवं अन्य सहायता की डीएमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी की जाकर सीधे ही प्रभावितों के खातों में राशि हस्तान्तरित की जा रही है।

## अभाव स्थिति

1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7369–7405 दिनाक 13.09.2019 के द्वारा रबी फसल सम्वत 2075 में राज्य के 04 जिलों यथा बूंदी, चूरू, नागौर एवं सवाई माधोपुर के 40 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

2. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9327–70 दिनाक 06.11.2019 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2076 में बाढ़ के कारण राज्य के 18 जिलों यथा अजमेर, बांसवाडा, भीलवाडा, बारां, बूंदी, चित्तोडगढ, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, टोंक व उदयपुर के 12943 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

3. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9470–99 दिनाक 11.11.2019 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2076 में सूखे के कारण राज्य के 04 जिलों यथा बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर व हनुमानगढ़ के 1388 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

## मानसून 2019

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 02.07.2019 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक 775.82 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 48.9 प्रतिशत ज्यादा है। मानसून अवधि 1 जून, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:—

| क्र. सं. | श्रेणी | नाम जिले | संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक) | अजमेर, नागौर, सीकर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड, उदयपुर, चित्तोडगढ, डूंगरपुर, प्रतापगढ एवं राजसमंद | 12 |
| 2. | अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत) | जोधपुर, जालौर, पाली, भीलवाडा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझूनू एवं बांसवाडा | 9 |
| 3. | सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (—) 19 प्रतिशत तक) | बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ, बाडमेर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं दौसा | 10 |
| 4. | कम वर्षा (सामान्य से (—) 20 प्रतिशत से (—) 59 प्रतिशत ) | अलवर एवं गंगानगर | 2 |
| 5 | न्यून वर्षा (सामान्य से (—) 60 प्रतिशत व इससे कम) | — | 0 |

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2019 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11763.73 Mcum की तुलना में 10193.99 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 86.66 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 938.00 Mcum की तुलना में 596.15 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 63.56 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 84.95 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2019 को भरा हुआ था।

## ओलावृष्टि

ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

राज्य में रबी फसल सम्वत 2075 में 4 जिले यथा बूंदी, चूरू, नागौर एवं सवाई माधोपुर के 40 गांवों को ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया तथा प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

## पशु संरक्षण गतिविधियाँ –

सम्वत 2075 में अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित 236 घोषित पशुशिविरों के बडे एवं छोटे कुल 38562 पशुओं तथा 1772 अन्य पशुशिविरों के 282210 पशुओं हेतु राहत सहायता स्वीकृत की गई। सूखे से प्रभावित जिलो में 680 चारा डिपो संचालित किये गये। सम्वत 2075 में लघु एवं सीमान्त कृषको से भिन्न कृषको के पशुओ के लिये भी राज्य मद से घोषित पशुशिविर एवं पशुशिविर संचालित किये गये।

## अतिवृष्टि/बाढ़

### राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।
2. मानसून वर्ष 2019 में राज्य में बहने/डूबने के कारण 80 व्यक्तियों, मकान/दिवार ढ़हने से 19 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 27 व्यक्तियों कुल 126 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार (4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) सहायता प्रदान की जा चुकी है।
3. वर्ष 2019 में बाढ से सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग , शिक्षा विभाग आदि विभागो की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु 7170 कार्यो की स्वीकृतियॉ जारी की गई तथा 176.70 करोड रुपये का बजट आवण्टित किया गया।

## अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलक्टरों को स्थायी निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे। वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (माह दिसम्बर 2019 तक) में क्रमशः 369.25 लाख एवं 560.00 लाख रूपये की राशि अग्नि पीडित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु जिलों को उपलब्ध करवाई गई।

## राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान के रुप मे वर्ष 2011–12 से 2019–20 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रुपये)

| वर्ष | भारत सरकार का अंशदान | राज्य सरकार का अंशदान | योग |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | 473.02 | 157.67 | 630.69 |
| 2012-13 | 496.67 | 165.55 | 662.22 |
| 2013-14 | 521.50 | 173.83 | 695.33 |
| 2014-15 | 547.58 | 182.52 | 730.10 |
| 2015-16 | 827.25 | 275.75 | 1103.00 |
| 2016-17 | 868.50 | 289.50 | 1158.00 |
| 2017-18 | 912.00 | 304.00 | 1216.00 |
| 2018-19 | 957.75 | 319.25 | 1277.00 |
| 2019-20 | 1005.00 | 335.00 | 1340.00 |
| योग | **6609.27** | **2203.07** | **8812.34** |

वर्ष 2014–15 से 2019–2020 के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट 7 पर एवं वर्ष 2016–17 से 2019–20 (31 दिसम्बर 2019 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 8 व परिशिष्ट 9 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–1

# Administrative Setup

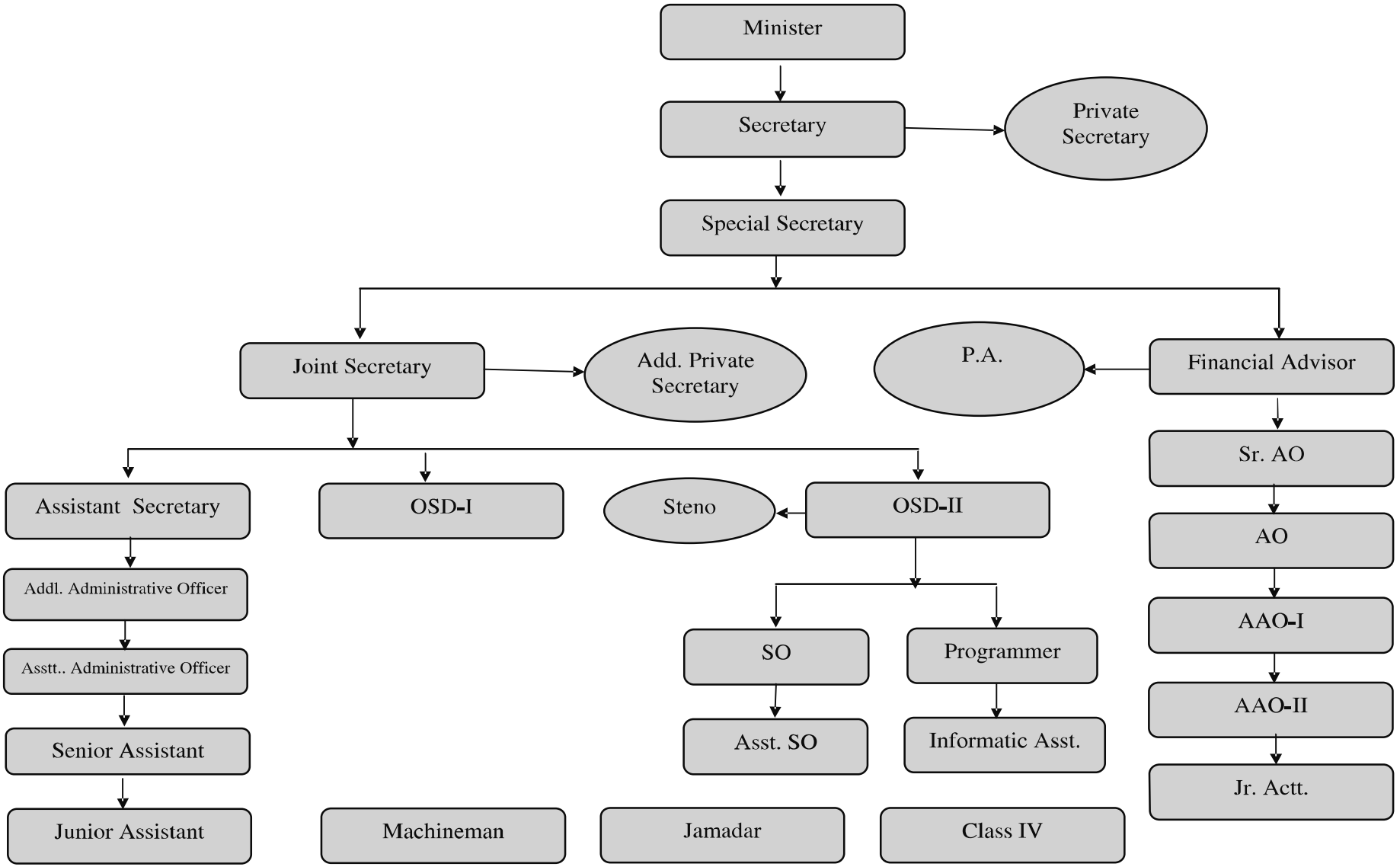

परिशिष्ट–2

## विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

| क्र.सं. | पद नाम | नाम अधिकारी | दिनांक से विभाग में कार्यरत |
|---|---|---|---|
| 1 | शासन सचिव | श्री सिद्धार्थ महाजन | 26.09.2019 |
| 2 | शासन विशिष्ट सचिव | डॉ. आरूषी अजय मलिक | 07.10.2019 |
| 3 | संयुक्त शासन सचिव | श्रीमती कल्पना अग्रवाल | 27.02.2019 |
| 4 | वित्तीय सलाहकार | श्री एल. एन. शर्मा | 25.09.2019 |
| 5 | शासन सहायक सचिव एवं सहायक आयुक्त | श्री चेतन चौहान | 13.08.2019 |
| 6 | विशेषाधिकारी (2) | श्री बिजेन्द्र सिंह | 30.03.2011 |
| | | श्री देशराज मीणा | 28.04.2015 |
| 7 | वरिष्ठ लेखाधिकारी | रिक्त | 01.08.2019 से रिक्त |
| 8 | लेखाधिकारी | श्रीमती प्रतिभा निमेश | 10.03.2019 |
| 9 | सांख्यिकी अधिकारी | डॉ. कुंजबिहारी खण्डेलवाल | 18.03.2016 |
| 10 | अतिरिक्त निजी सचिव (2) | श्री दिनेश कुमार सारोलिया | 16.09.2016 |
| | | रिक्त | 01.08.2017 से रिक्त |
| 11 | सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2) | श्री शंकरलाल मीणा | 15.12.2016 |
| | | श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया | 01.04.2016 |
| 12 | प्रोग्रामर | श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय | 03.08.2018 |
| 13 | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | श्री रविशंकर हाडा | 26.03.2018 |

परिशिष्ट–3

# स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

| क्र.स. | पद नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | शासन सचिव | 1 | – |
| 2. | विशिष्ठ शासन सचिव | 1 | – |
| 3. | संयुक्त शासन सचिव | 1 | – |
| 4. | वित्तीय सलाहकार | 1 | – |
| 5. | सहायक आयुक्त एंव शासन सहायक सचिव | 1 | – |
| 6 | विशेषाधिकारी प्रथम | 1 | – |
| 7 | विशेषाधिकारी द्वितीय | 1 | – |
| 8 | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 1 | 1 |
| 9 | निजी सचिव | 1 | – |
| 10 | लेखाधिकारी | 1 | – |
| 11 | सांख्यिकी अधिकारी | 1 | – |
| 12 | अति. निजी. सचिव | 1 | – |
| 13 | निजी सहायक | 1 | 1 |
| 14 | प्रोग्रामर | 1 | – |
| 15 | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I | 2 | – |
| 16 | अति.प्रशासनिक अधिकारी | 1 | – |
| 17 | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II | 32 | 9 |
| 18 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 1 | – |
| 19 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 7 | – |
| 20 | कनिष्ठ लेखाकार | 4 | 1 |
| 21 | शीघ्र लिपिक | 2 | 1 |
| 22 | वरिष्ठ सहायक | 21 | 9 |
| 23 | सूचना सहायक | 2 | 1 |
| 24 | कनिष्ठ सहायक | 30 | 3 |
| 25 | मशीन मैन | 1 | – |
| 26 | जमादार | 3 | – |
| 27 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 9 | 2 |

## राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नौ सदस्यों से मिलकर गठित होगाः–

| | |
|---|---|
| 1. | मुख्यमंत्री, राजस्थान |
| 2. | प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार |
| 3. | प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार |
| 4. | प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार |
| 5. | प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार |
| 6. | प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार |
| 7. | प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार |
| 8. | प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार |
| 9. | प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार |

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

## राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. | अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि | सदस्य |
| 3. | अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 4. | प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 5. | शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग | सदस्य सचिव |

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

## जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
### (राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख, जिला परिषद | सह अध्यक्ष |
| 3. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य |
| 4. | जिला पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 5. | जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| 6. | जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| 7. | अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन(सहायता अनुभाग का भारसाधक) | |

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगे:–

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट–7

# POSITION OF SDRF/NDRF

**(Rs.in Crore)**

| Funds | SDRF/NDRF 2014-15 | SDRF/NDRF 2015-16 | SDRF/NDRF 2016-17 | SDRF/NDRF 2017-18 | SDRF/NDRF 2018-19 | SDRF/NDRF 2019-20 (Upto 31-12-2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (A) SDRF | | | | | | |
| Opening Balance | 999.22 | 288.02 | 209.40 | 326.05 | 83.27 | 670.76 |
| Central Share | 547.58 | 827.25 | 868.50 | 912.00 | 861.98 | 1100.77 |
| State Share | 182.52 | 275.75 | 289.50 | 304.00 | 319.25 | 335.00 |
| Receipt from Interest | 59.67 | - | 22.17 | 50.08 | 58.69 | |
| Received from GOI | - | 1378.13 | 990.82 | 301.65 | 832.26 | 1164.99 |
| Funds transferd by State Govt. in SDRF | - | - | - | - | 31.50 | - |
| Total Funds Available under SDRF | 1788.99 | 2769.15 | 2380.39 | 1893.78 | 2186.95 | 3271.52 |
| **Expenditure** | **1570.57** | **2559.75** | **2054.34** | **1810.51** | **1516.19** | **569.21*** |
| **Closing Balance** | **218.42** | **209.40** | **326.05** | **83.27** | **670.76** | **2702.31** |
| **(B)NDRF** | - | - | - | - | - | - |
| Opening Balance | 69.60 | - | - | - | - | - |
| Receipts | - | - | - | - | - | - |
| Total Fund Available under NCCF | 69.60 | - | - | - | - | - |
| Allotment Made | - | - | - | - | - | - |
| Closing Balance | 69.60 | - | - | - | - | - |
| **Total Funds available Under SDRF& NDRF(A+B)** | **288.02** | **209.40** | **326.05** | **83.27** | **670.76** | **2702.31** |

* Amount of Allotment

परिशिष्ट–8

## वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. सं. | गतिविधि का विवरण | वर्ष 2016–2017 | वर्ष 2017–2018 | वर्ष 2018–2019 | वर्ष 2019–2020 (दिनांक **31-12-2019** तक आवंटित राशि ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अनुग्रह सहायता | 3.50 | -0.71 | - | - |
| 2 | पीने के पानी की आपूर्ति | 2081.53 | 73.20 | 726.32 | 718.00 |
| 3 | चारा परिवहन | - | 0.92 | - | 678.00 |
| 4 | पशु पोषण केन्द्र | - | - | - | 402.63 |
| 5 | पशु शिविर / गौशाला | 12807.40 | 13183.55 | 2439.37 | 3072.69 |
| 6 | पशु चिकित्सा | - | - | - | - |
| 7 | दवाओं की पूर्ति | - | - | - | - |
| 8 | अन्य विशेष राहत कार्य | -0.74 | - | - | - |
| 9 | अग्नि सहायता | 765.33 | 741.53 | 369.25 | 560.00 |
| 10 | सर्च एवं रेस्क्यू एव प्रशिक्षण | 244.90 | 365.65 | 37.74 | 147.00 |
| 11 | कृषि आदान अनुदान | 175506.33 | 114419.72 | 150885.87 | 17380.00 |
| 12 | अन्य सहायता | 16.40 | 349.36 | 18.24 | 1008.00 |
| | योग | **191424.65** | **129133.22** | **154476.79** | **23966.32** |

परिशिष्ट–9

## वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. स. | गतिविधियाँ | वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 (दिनांक 31-12-2019 तक आवण्टित राशि) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आनुग्रहिक राहत कपड़ा बर्तन | 8.78 | 468.65 | 6.64 | 247.78 |
| 2. | पीने के पानी की आपूर्ति | - | - | - | - |
| 3. | पशु चिकित्सा | - | - | - | - |
| 4. | सड़कों की मरम्मत | 6618.78 | 6950.58 | - | 16716.00 |
| 5. | बिजली पुनरूद्धार | - | - | - | - |
| 6. | सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय | 330.64 | 1048.98 | 488.01 | 774.00 |
| 7. | प्रशिक्षण | - | - | - | - |
| 8. | खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत | - | - | - | 62.15 |
| 9. | खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना | - | - | - | 4.50 |
| 10. | शोकार्त परिवारों को सहायता | 316.00 | 245.50 | 279.00 | 547.00 |
| 11. | घरों की मरम्मत | 372.24 | 2928.08 | 124.54 | 3265.00 |
| 12. | ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान | 6050.25 | 9636.47 | 2212.01 | 6266.00 |
| 13 | बाढ से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान | - | 29733.04 | (-)7272.24 | 4033.00 |
| 14 | डिसिल्टिंग | - | - | - | - |
| 15. | पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता | 12.08 | 528.49 | 26.56 | 53.00 |
| 16. | खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य | 300.77 | 259.01 | 1179.32 | 921.94 |
| 17. | अन्य सहायता (हेलिकाप्टर) | - | 119.56 | 98.25 | - |
| 18. | अन्य सहायता | - | - | - | 64.02 |
| | **योग** | **14009.54** | **51918.36** | **(-)2857.91** | **32954.39** |

# List of Nodal Departments

| S.No. | Name of Nodal Department | Related Disaster |
|---|---|---|
| 1. | Disaster Management & Relief | Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightning, Cyclones |
| 2. | Energy | Disaster involving power generation/ distribution/ transmission |
| 3. | Home | Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster, |
| 4. | Water Resources | Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts |
| 5. | PWD | Earthquake, Major Building Collapse, Landslides |
| 6. | Mines & Petroleum | Mine Fire and Mine Flooding,Oil Spill |
| 7. | Industries | Chemical & Industrial Disasters |
| 8. | UDH | Urban Fires |
| 9. | Revenue | Village Fire and Boat Capsizing |
| 10. | Forests | Forest-Fire |
| 11. | Medical & Health | Biological and Epidemic, Food Poisoning |
| 12. | Agriculture | Pest Attack |
| 13. | Animal Husbandry | Epidemic in Animal Population |

# EXTENT OF SCARCITY (Kharif-Flood)
# SAMVAT 2076 (2019)

| क्र. सं. | जिला | जिले के कुल गांवो की संख्या | जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले) | प्रभावित जन संख्या (लाखों में) | कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | प्रभावित ग्रामों की संख्या | | | खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में) | खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में | स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में | प्रभावित पशु संख्या (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम | 50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम | 75 से 100 प्रतिशत तक | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | अजमेर | 1149 | 154 | 2.60 | 521771 | 424833 | 60771 | 25 | 129 | 0 | 6376 | 271604 | 0 | 0.33 |
| 2 | बांसवाड़ा | 1549 | 1532 | 16.98 | 278624 | 230203 | 227818 | 1 | 1530 | 1 | 58772.00 | 0 | 0 | 16.81 |
| 3 | बारां | 1251 | 1085 | 11.15 | 388786 | 336894 | 219282 | 8 | 722 | 355 | 219282 | 2018572 | 2018569 | 7.67 |
| 4 | भीलवाड़ा | 1935 | 748 | 6.58 | 611418 | 388441 | 100094 | 0 | 303 | 445 | 24141.70 | 699918 | 389430 | 8.73 |
| 5 | बूंदी | 895 | 689 | 7.70 | 327094 | 251167 | 145855 | 28 | 497 | 164 | 62725 | 0 | 0 | 7.99 |
| 6 | चित्तोडगढ़ | 1788 | 1306 | 11.12 | 395413 | 320137 | 210491 | 0 | 1282 | 24 | 60411.80 | 509711 | 509711 | 10.19 |
| 7 | धौलपुर | 845 | 57 | 0.43 | 181130 | 102500 | 4297.327 | 0 | 0 | 57 | 1335.82 | 0 | 0 | 0.31 |
| 8 | डूंगरपुर | 1012 | 1011 | 13.90 | 194426 | 132917 | 130453 | 0 | 0 | 1011 | 25255.5 | 0 | 0 | 11.13 |
| 9 | झालावाड़ | 1641 | 1622 | 13.84 | 379713 | 339387 | 330456 | 0 | 1610 | 12 | 88137 | 0 | 0 | 9.47 |
| 10 | जोधपुर | 1882 | 7 | 0.08 | 1917647 | 1258881 | 3265 | 2 | 4 | 1 | 534.59 | 0 | 0 | 0.05 |
| 11 | करौली | 899 | 20 | 0.00 | 219306 | 159507 | 1483 | 0 | 0 | 20 | 475 | 0 | 0 | |
| 12 | कोटा | 953 | 887 | 11.91 | 281153 | 262354 | 254651 | 70 | 548 | 269 | 73781 | 0 | 0 | 5.97 |
| 13 | नागौर | 1655 | 49 | 1.01 | 1548854 | 1231411 | 23072 | 25 | 15 | 9 | 7832 | 0 | 0 | 0.52 |
| 14 | पाली | 1059 | 170 | 3.57 | 836069 | 527743 | 146948.9 | 8 | 13 | 149 | 71312 | 0 | 0 | 1.19 |
| 15 | प्रतापगढ़ | 1014 | 1013 | 8.66 | 210024 | 186712 | 186712 | 0 | 853 | 160 | 94340 | 0 | 0 | 5.35 |
| 16 | स.माधोपुर | 831 | 17 | 1.46 | 315594 | 181021 | 5199 | 0 | 3 | 14 | 1395.93 | 418434 | 0 | 0.80 |
| 17 | टोंक | 1222 | 580 | 7.49 | 493156 | 340278 | 162471 | 194 | 148 | 238 | 59603.9 | 0 | 0 | 7.53 |
| 18 | उदयपुर | 2556 | 1996 | 19.58 | 362677 | 237513 | 179338 | 574 | 911 | 511 | 23066 | 0 | 0 | 17.87 |
| **योग** | | **24136** | **12943** | **138.06** | **9462855** | **6911899** | **2392657** | **935** | **8568** | **3440** | **878777** | **3918239** | **2917710** | **111.91** |

# EXTENT OF SCARCITY (Kharif-Drought)
# SAMVAT 2076 (2019)

| क्र. सं. | जिला | जिले के कुल गांवो की संख्या | जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले) | प्रभावित जन संख्या (लाखों में) | कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | प्रभावित ग्रामों की संख्या | | | खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में) | खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में | स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में | प्रभावित पशु संख्या (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम | 50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम | 75 से 100 प्रतिशत तक | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | बाड़मेर | 2805 | 223 | 1.53 | 2378156 | 1509572 | 48000 | 92 | 124 | 7 | 18787.782 | 35233 | 35233 | 2.76 |
| 2 | हनुमानगढ़ | 1917 | 183 | 2.92 | 887080 | 770592 | 171167 | 1 | 168 | 14 | 24451 | 0 | 0 | 1.10 |
| 3 | जैसलमेर | 852 | 672 | 5.56 | 3177317 | 725347 | 395696 | 40 | 175 | 457 | 68932.08 | 497757 | 339235 | 9.08 |
| 4 | जोधपुर | 1882 | 310 | 2.65 | 1917647 | 1258881 | 105352 | 297 | 13 | 0 | 63570.2 | 0 | 0 | 1.23 |
| **योग** | | **7456** | **1388** | **12.66** | **8360200** | **4264392** | **720215** | **430** | **480** | **478** | **175741.06** | **532990** | **374468** | **14.17** |